बिहार सरकार,
खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

पत्रांक-प्र. 6-विविध-16/05- 3220 / आ.वा. पटना-15, दि0 03.12.05

प्रेषक,

अरूण झा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

विषय:- अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान को अनुज्ञप्ति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-3874 दिनांक 03.12.03 के माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानों को नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करने का निदेश दिया गया था । उक्त निदेश के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर भी जन वितरण प्रणाली के दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने सम्बन्धी प्रस्ताव जिला स्तर से विभागीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय को प्राप्त होते रहे हैं ।

2. अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकानों को अनुज्ञप्ति निर्गत करने के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब जिला स्तर पर गठित चयन समिति की अनुशंसा के उपरान्त सम्बन्धित अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी ।

3. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत विभागीय निदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

कृपया सरकार के उक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को तुरंत अवगत कराते हुए तदनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।

विश्वासभाजन,
अरूण झा 2/12/05
(अरूण झा)
सरकार के सचिव ।
2/12/05

के0एक्का
2.12.05